

परिशिष्ट "ख" (समूह-"ग")
(विनियम-5 और 8 देखिये)

क्रमांक	पद का नाम	वर्तमान में भर्ती का स्रोत	सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हतायें	पदनाम	प्रस्तावित भर्ती का स्रोत	सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हतायें	औचित्य
1	2	3	4	1	2	3	4
(क) प्रबन्धकीय संवर्ग-				(क) प्रबन्धकीय संवर्ग-			
1.	ग्रामोद्योग अधिकारी	“अस्सी प्रतिशत पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक विकास अधिकारी (प्रथम), ज्येष्ठ औद्योगिक सहकारी निरीक्षक, तकनीकी अधिकारी (कुम्हारी) और बीस प्रतिशत पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कार्यालय अधीक्षक (द्वितीय) और निजी सचिवों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।		ग्रामोद्योग अधिकारी ।।	सहायक विकास अधिकारी (द्वितीय), औद्योगिक सहकारी निरीक्षक जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।		समान वेतनमान होने के कारण एवं पदों का पुनर्विनियोजन होने के फलस्वरूप अन्य पदों को हटा दिया गया। गुड़ एवं ताड़गुड़ के पदों को उनके संवर्ग में आगे ले जाने की व्यवस्था है। समूह-‘ख’ में उक्त पदों को गुड़ विकास अधिकारी एवं ताड़गुड़ विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु प्राविधान किया जा रहा है।
2.	सहायक विकास अधिकारी (एक)	“70 प्रतिशत पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक विकास अधिकारी (दो), औद्योगिक सहकारी निरीक्षक, केयर टेकर, गुड़ विकास		सहायक विकास अधिकारी (एक)	सहायक विकास अधिकारी (द्वितीय), औद्योगिक सहकारी निरीक्षक जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा		समान वेतनमान होने के कारण एवं पदों का पुनर्विनियोजन होने के फलस्वरूप अन्य पदों को हटा दिया गया।

		निरीक्षक, ताड़ वस्तु विकास निरीक्षक, ताड़ वस्तु वाणिज्यिक निरीक्षक और तीस प्रतिशत पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त लेखाकार में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।			पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।		गुड़ एवं ताड़गुड़ के पदों को उनके संवर्ग में आगे ले जाने की व्यवस्था है। समूह-‘ख’ में उक्त पदों को गुड़ विकास अधिकारी एवं ताड़गुड़ विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु प्राविधान किया जा रहा है।
3.	ज्येष्ठ औद्योगिक सहकारी निरीक्षक	“70 प्रतिशत पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक विकास अधिकारी (दो), औद्योगिक सहकारी निरीक्षक, केयर टेकर, गुड़ विकास निरीक्षक, ताड़ वस्तु विकास निरीक्षक, ताड़ वस्तु वाणिज्यिक निरीक्षक और तीस प्रतिशत पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त लेखाकार में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।		ज्येष्ठ औद्योगिक सहकारी निरीक्षक	सहायक विकास अधिकारी (द्वितीय), औद्योगिक सहकारी निरीक्षक जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।		समान वेतनमान होने के कारण एवं पदों का पुनर्विनियोजन होने के फलस्वरूप अन्य पदों को हटा दिया गया। गुड़ एवं ताड़गुड़ के पदों को उनके संवर्ग में आगे ले जाने की व्यवस्था है। समूह-‘ख’ में उक्त पदों को गुड़ विकास अधिकारी एवं ताड़गुड़ विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु प्राविधान किया जा रहा है।
4.	सहायक विकास अधिकारी (दो)	50 प्रतिशत पदों पर “मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे तकनीकी सहायक (चर्म), चर्म अनुदेशक और औद्योगिक सहकारी	स्नातक उपाधि	सहायक विकास अधिकारी (दो)	50 प्रतिशत पदों पर “मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे तकनीकी सहायक (चर्म), चर्म अनुदेशक और औद्योगिक	स्नातक उपाधि	संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

		पर्यवेक्षकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।”			सहकारी पर्यवेक्षकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।”		
5	औद्योगिक सहकारी निरीक्षक	“मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे औद्योगिक सहकारी पर्यवेक्षकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।”		औद्योगिक सहकारी निरीक्षक	“मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे औद्योगिक सहकारी पर्यवेक्षकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।”		संशोधन की आवश्यकता नहीं है।
6.	औद्योगिक सहकारी पर्यवेक्षक	50 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे तकनीकी सहायक (प्रशिक्षण), लिपिक/ टंकक/स्टोर कीपर और कनिष्ठ खजान्जी में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।	(1) स्नातक उपाधि और (2) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से सहकारिता में प्रशिक्षण	औद्योगिक सहकारी पर्यवेक्षक	50 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे तकनीकी सहायक (प्रशिक्षण) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।	(1) स्नातक उपाधि और (2) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से सहकारिता में प्रशिक्षण	लिपिकीय पदों का पुनर्विनियोजन होने के फलस्वरूप समान वेतनमान होने के कारण पदों को हटा दिया गया।
(ख) लिपिकीय संवर्ग—				(ख) लिपिकीय संवर्ग—			
¹⁰	कार्यालय अधीक्षक (एक)	“मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कार्यालय अधीक्षक (द्वितीय) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम		प्रधान सहायक	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वरिष्ठ सहायक एवं केयर टेकर जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को		(1) शासनादेश सं०-701/59-1-2014-25(खा)/ 2010 दिनांक 20 अगस्त, 2014 में निर्धारित

		दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा”			इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा”		व्यवस्थानुसार पदों का पुनर्विनियोजन किया गया है। (2) पदोन्नति हेतु वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत अवधि नहीं दी गयी है, जो भर्ती के स्रोत में पांच वर्ष पूरा किया जाना अंकित किया जाना है।
2 ^प	कार्यालय अधीक्षक (दो)	“मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उत्पादन अधीक्षक में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा”		वरिष्ठ सहायक	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कनिष्ठ सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा”		शासनादेश सं०-701/59-1-2014-25(खा)/ 2010 दिनांक 20 अगस्त, 2014 में निर्धारित व्यवस्थानुसार पदों का पुनर्विनियोजन किया गया है।
3 ^प	उत्पादन अधीक्षक (लिपिकीय)	“मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रधान लिपिक (एक), नोटर ड्राफ्टर, रिकार्ड कीपर, सहायक उत्पादन अधीक्षकों (लिपिकीय) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा”			पुनर्विनियोजन में पद समाप्त		
4 ^प	प्रधान लिपिक (एक)	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे ऐसे प्रधान लिपिक (द्वितीय), लेखा लिपिक, रिकार्ड कीपर एवं			पुनर्विनियोजन में पद समाप्त		

		लेखाकार, प्रवर वर्ग लिपिक, स्टोर एवं लेखा लिपिक, लेखाकार एवं लेखाकार एवं खजान्ची, लेखपाल, लेखाकार एवं प्रधान लिपिक तथा सांख्यिकीय में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा					
5 ^प	नोटर ड्राफ्टर	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे ऐसे प्रधान लिपिक (द्वितीय), लेखा लिपिक, रिकार्ड कीपर एवं लेखाकार, प्रवर वर्ग लिपिक, स्टोर एवं लेखा लिपिक, लेखाकार एवं लेखाकार एवं खजान्ची, लेखपाल, लेखाकार एवं प्रधान लिपिक तथा सांख्यिकीय में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा			पुनर्विनियोजन में पद समाप्त		
6 ^प	रिकार्ड कीपर	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे ऐसे प्रधान लिपिक			पुनर्विनियोजन में पद समाप्त		

		(द्वितीय), लेखा लिपिक, रिकार्ड कीपर एवं लेखाकार, प्रवर वर्ग लिपिक, स्टोर एवं लेखा लिपिक, लेखाकार एवं लेखाकार एवं खजान्ची, लेखपाल, लेखाकार एवं प्रधान लिपिक तथा सांख्यिकीय में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा				
70	सहायक उत्पादन अधीक्षक (लिपिकीय)	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे ऐसे प्रधान लिपिक (द्वितीय), लेखा लिपिक, रिकार्ड कीपर एवं लेखाकार, प्रवर वर्ग लिपिक, स्टोर एवं लेखा लिपिक, लेखाकार एवं लेखाकार एवं खजान्ची, लेखपाल, लेखाकार एवं प्रधान लिपिक तथा सांख्यिकीय में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा			पुनर्विनियोजन में पद समाप्त	

8 ^प	प्रधान लिपिक (दो)	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे लिपिक/टंकक/स्टोर कीपर और कनिष्ठ खजान्चियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा			पुनर्विनियोजन में पद समाप्त		
9 ^प	लेखा लिपिक	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे लिपिक/टंकक/स्टोर कीपर और कनिष्ठ खजान्चियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा			पुनर्विनियोजन में पद समाप्त		
10 ^प	रिकार्ड कीपर एवं लेखाकार	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे लिपिक/टंकक/स्टोर कीपर और कनिष्ठ खजान्चियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा			पुनर्विनियोजन में पद समाप्त		
11 ^प	प्रवर वर्ग लिपिक	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे लिपिक/टंकक/स्टोर कीपर और कनिष्ठ खजान्चियों में से जिन्होंने			पुनर्विनियोजन में पद समाप्त		

		भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा					
12 ^प	स्टोर एवं लेखा लिपिक	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे लिपिक/टंकक/स्टोर कीपर और कनिष्ठ खजान्दियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा			पुनर्विनियोजन में पद समाप्त		
13 ^प	लेखाकार	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे लिपिक/टंकक/स्टोर कीपर और कनिष्ठ खजान्दियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा			पुनर्विनियोजन में पद समाप्त		
14 ^प	लेखाकार एवं खजान्दी	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे लिपिक/टंकक/स्टोर कीपर और कनिष्ठ खजान्दियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा			पुनर्विनियोजन में पद समाप्त		

15 ^प	लेखापाल	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे लिपिक/टंकक/स्टोर कीपर और कनिष्ठ खजान्चियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा			पुनर्विनियोजन में पद समाप्त		
16 ^प	लेखाकार	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे लिपिक/टंकक/स्टोर कीपर और कनिष्ठ खजान्चियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा			पुनर्विनियोजन में पद समाप्त		
17 ^प	लेखाकार एवं प्रधान लिपिक	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे लिपिक/टंकक/स्टोर कीपर और कनिष्ठ खजान्चियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा			पुनर्विनियोजन में पद समाप्त		
18 ^प	सांख्यिकी	सीधी भर्ती द्वारा	एक विषयक के रूप में सांख्यिकी के साथ स्नातक उपाधि	सांख्यिकी	पुनर्विनियोजन में पद पदोन्नति पद वरिष्ठ सहायक में अंकित है।		

19 ^{वा}	केयर टेकर	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे फिल्म आपरेटर एवं इलेक्ट्रीशियन में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा		केयर टेकर	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कनिष्ठ सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा		पुनर्विनियोजन में केयर टेकर का पद छूट गया है। अतः उक्त पद पर कनिष्ठ सहायक से पदोन्नति किया जाना है।
20 ^{वा}	लिपिक/टंकक/स्टोर कीपर	(क) पचासी प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	(1) इण्टरमीडिएट, (2) हिन्दी टंकण में तीस शब्द प्रति मिनट की गति	कनिष्ठ सहायक	80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा अर्हता इण्टरमीडिएट के साथ-साथ कम्प्यूटर संचालन का डायक, कम्प्यूटर सोसाइटी द्वारा प्रदत्त "सी0सी0सी0" प्रमाण-पत्र अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष स्तर का प्रमाण-पत्र तथा हिन्दी अंग्रेजी में कम से कम 25/30 शब्द प्रति मिनट टंकण गति, 15 प्रतिशत चतुर्थश्रेणी के ऐसे कार्मिकों से पदोन्नति द्वारा जो हाईस्कूल हों, तथा टंकण का ज्ञान रखते हों। 5 प्रतिशत चतुर्थश्रेणी के ऐसे कार्मिकों से पदोन्नति द्वारा जो इण्टरमीडिएट हो, तथा टंकण का ज्ञान रखते		शासनादेश सं0-701/59-1-2014-25(खा)/ 2010 दिनांक 20 अगस्त, 2014 में निर्धारित व्यवस्थानुसार पदों का पुनर्विनियोजन किया गया है। (2) पदोन्नति के सम्बन्ध में चतुर्थश्रेणी के पद पर पांच साल की सेवा पूर्ण किये जाने पर अंकित किया जाना है।

					हों एवं उपरोक्त चतुर्थश्रेणी के पद पर पांच वर्ष की सेवा पूर्ण किये हो।		
		(ख) (पन्द्रह प्रतिशत) मौलिक रूप से नियुक्त और हाईस्कूल उत्तीर्ण ऐसे चपरासियों और चौकीदारों में से जो हिन्दी टंकण में तीस शब्द प्रति मिनट की गति रखते हो, पदोन्नति द्वारा।					
21 ^प	कनिष्ठ खजान्ची		वाणिज्य में स्नातक उपाधि	कनिष्ठ खजान्ची		वाणिज्य में स्नातक उपाधि	यह पद उत्तरांचल स्थानान्तरित हो गया है।
(ग) आशुलिपिक संवर्ग—				(ग) आशुलिपिक संवर्ग—			
1 ^प	वैयक्तिक सहायक	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे निजी सचिवों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा		वैयक्तिक सहायक ग्रेड— II	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे आशुलिपिक ग्रेड— I में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा		नोट—शासनादेश सं०-13ई०एम०-187-क-4/2005 दिनांक 26 अगस्त, 2005 में निर्धारित स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर आशुलिपिक संवर्ग में कार्यरत कार्मिकों का समायोजन।
2 ^प	निजी सचिव	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे आशुलिपिकों (एक) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा		निजी सचिव	पुनर्विनियोजन में पद समाप्त		नोट—शासनादेश सं०-13ई०एम०-187-क-4/2005 दिनांक 26 अगस्त, 2005 में निर्धारित स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर

		पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा					आशुलिपिक संवर्ग में कार्यरत कार्मिकों का समायोजन।
3 ^प	आशुलिपिक (एक)	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे आशुलिपिकों (दो) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा		आशुलिपिक ग्रेड-।	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे आशुलिपिक ग्रेड-।। में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा		नोट-शासनादेश सं०-13ई०एम०-187-क-4/2005 दिनांक 26 अगस्त, 2005 में निर्धारित स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर आशुलिपिक संवर्ग में कार्यरत कार्मिकों का समायोजन।
4 ^प	आशुलिपिक (दो)	सीधी भर्ती	(1) इण्टरमीडिएट, (2) हिन्दी आशुलिपिक में अरसी शब्द प्रति मिनट की गति, (3) हिन्दी टंकण में तीस शब्द प्रति मिनट की गति।	आशुलिपिक ग्रेड-।।	सीधी भर्ती	(1) इण्टरमीडिएट के साथ हिन्दी आशुलिपिक में अरसी शब्द प्रति मिनट तथा टंकण में 25 शब्द प्रतिमिनट के साथ कम्प्यूटर से सम्बन्धित ज्ञान की अर्हता (2) कम्प्यूटर सोसाइटी द्वारा सी.सी. पाठ्यक्रम अथवा माध्यमिक शिक्षा उ०प्र० द्वारा संचालित कम्प्यूटर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।	

(घ) लेखा संवर्ग—			(घ) लेखा संवर्ग—		
17	मुख्य लेखा निरीक्षक / वाणिज्यिक लेखाकार	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे ज्येष्ठ लेखा निरीक्षक / भण्डार सत्यापकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा	ज्येष्ठ लेखा परीक्षक	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे लेखा परीक्षक में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, तथा शासनादेश संख्या—आडिट 4023/10 -4-322(6)04 टी0सी0 दिनांक 06 सितम्बर, 2004 द्वारा निर्धारित प्रथम विभागीय परीक्षा पास करने पर इस प्रतिबन्ध के साथ ज्येष्ठ लेखा परीक्षक पदनाम व वेतनमान अनुमन्य किय जाये कि किसी भी समय ज्येष्ठ लेखा परीक्षकों के पद धारकों की संख्या लेखा परीक्षक व ज्येष्ठ लेखा परीक्षक के पदों की सम्मिलित संख्या के 80 प्रतिशत से अधिक न हो। कम्प्यूटर का ज्ञान अनिवार्य है, जिन्हें ज्ञान नहीं है, उन्हें समयबद्ध रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया	शासनादेश सं0-954/59-1-2006-37(खा)/2006 दिनांक 25 अगस्त, 2008 द्वारा मुख्य लेखा निरीक्षक, वाणिज्य लेखाकार तथा ज्येष्ठ लेखा निरीक्षक का पद लेखा संवर्ग के पदों के पुनर्विनियोजन में ज्येष्ठ लेखा परीक्षक हो गया है तथा वेतन समिति उ0प्र0 2008 के द्वितीय प्रतिवेदन भाग-2 की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार जिसके द्वारा उक्त संवर्ग के पदों का वेतनमान ज्येष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड-1 का ग्रेड पे-4200 तथा ज्येष्ठ लेखा परीक्षक का ग्रेड पे-2800 एवं लेखा परीक्षक का ग्रेड पे-2400 किया गया है, जिसका संशोधन उक्तानुसार किया जाना है।

					जाये।		
2 ^प	ज्येष्ठ लेखा निरीक्षक/ भण्डार सत्यापक	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक लेखाकार और कनिष्ठ लेखा निरीक्षकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा		ज्येष्ठ लेखा परीक्षक	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे लेखा परीक्षक में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, तथा शासनादेश संख्या-आडिट 4023/10 -4-322(6)04 टी0सी0 दिनांक 06 सितम्बर, 2004 द्वारा निर्धारित प्रथम विभागीय परीक्षा पास करने पर इस प्रतिबन्ध के साथ ज्येष्ठ लेखा परीक्षक पदनाम व वेतनमान अनुमन्य किय जाये कि किसी भी समय ज्येष्ठ लेखा परीक्षकों के पद धारकों की संख्या लेखा परीक्षक व ज्येष्ठ लेखा परीक्षक के पदों की सम्मिलित संख्या के 80 प्रतिशत से अधिक न हो। कम्प्यूटर का ज्ञान अनिवार्य है, जिन्हें ज्ञान नहीं है, उन्हें समयबद्ध रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया जाये।		शासनादेश सं0-954/59-1-2006-37(खा)/2006 दिनांक 25 अगस्त, 2008 द्वारा मुख्य लेखा निरीक्षक, वाणिज्य लेखाकार तथा ज्येष्ठ लेखा निरीक्षक का पद लेखा संवर्ग के पदों के पुनर्विनियोजन में ज्येष्ठ लेखा परीक्षक हो गया है तथा वेतन समिति उ0प्र0 2008 के द्वितीय प्रतिवेदन भाग-2 की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार जिसके द्वारा उक्त संवर्ग के पदों का वेतनमान ज्येष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड-1 का ग्रेड पे-4200 तथा ज्येष्ठ लेखा परीक्षक का ग्रेड पे-2800 एवं लेखा परीक्षक का ग्रेड पे-2400 किया गया है, जिसका संशोधन उक्तानुसार किया जाना है।

3 ^प	सहायक लेखाकार	सीधी भर्ती द्वारा	वाणिज्य में स्नातक उपाधि	लेखा परीक्षक	सीधी भर्ती द्वारा	स्नातक (कामर्स या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एकाउण्टेन्सी सहित कम्प्यूटर में "ओ" लेवल का डिप्लोमा अनिवार्य है।	शासनादेश सं०-954 / 59-1-2006- 37(खा) / 2006 दिनांक 25 अगस्त, 2008 द्वारा मुख्य लेखा निरीक्षक, वाणिज्य लेखाकार तथा ज्येष्ठ लेखा निरीक्षक का पद लेखा संवर्ग के पदों के पुनर्विनियोजन में ज्येष्ठ लेखा परीक्षक हो गया है तथा वेतन समिति उ०प्र० 2008 के द्वितीय प्रतिवेदन भाग-2 की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार जिसके द्वारा उक्त संवर्ग के पदों का वेतनमान ज्येष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड-1 का ग्रेड पे-4200 तथा ज्येष्ठ लेखा परीक्षक का ग्रेड पे-2800 एवं लेखा परीक्षक का ग्रेड पे-2400 किया गया है, जिसका संशोधन उक्तानुसार किया जाना है। शैक्षिक योग्यता परिवर्तित किया गया है।
4 ^प	कनिष्ठ लेखा	सीधी भर्ती द्वारा	वाणिज्य में स्नातक उपाधि	लेखा परीक्षक	सीधी भर्ती द्वारा	स्नातक (कामर्स या पोस्ट ग्रेजुएट	शासनादेश सं०-954 / 59-1-2006-

	निरीक्षक					डिप्लोमा इन एकाउण्टेन्सी सहित कम्प्यूटर में "ओ" लेवल का डिप्लोमा अनिवार्य है।	37(खा)/2006 दिनांक 25 अगस्त, 2008 द्वारा मुख्य लेखा निरीक्षक, वाणिज्य लेखाकार तथा ज्येष्ठ लेखा निरीक्षक का पद लेखा संवर्ग के पदों के पुनर्विनियोजन में ज्येष्ठ लेखा परीक्षक हो गया है तथा वेतन समिति उ0प्र0 2008 के द्वितीय प्रतिवेदन भाग-2 की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार जिसके द्वारा उक्त संवर्ग के पदों का वेतनमान ज्येष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड-1 का ग्रेड पे-4200 तथा ज्येष्ठ लेखा परीक्षक का ग्रेड पे-2800 एवं लेखा परीक्षक का ग्रेड पे-2400 किया गया है, जिसका संशोधन उक्तानुसार किया जाना है। शैक्षिक योग्यता परिवर्तित किया गया है।
(ड) तकनीकी संवर्ग (कम्बल)–			(ड) तकनीकी संवर्ग (कम्बल)–				
एक	व्यवस्थापक (कम्बल)	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उत्पादन अधीक्षकों		व्यवस्थापक	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उत्पादन अधीक्षक,	सहायक उत्पादन अधीक्षक एवं उत्पादन अधीक्षक (कम्बल) का	

		(कम्बल योजना) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा		(कम्बल)	सहायक उत्पादन अधीक्षक (कम्बल योजना) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा		वेतनमान समान होने के कारण।
दो	उत्पादन अधीक्षक एवं सह उत्पादन अधीक्षक	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक उत्पादन अधीक्षकों (कम्बल योजना) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा		उत्पादन अधीक्षक एवं सह उत्पादन अधीक्षक	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे बुनाई पर्यवेक्षक (कम्बल) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा		सहायक उत्पादन अधीक्षक एवं उत्पादन अधीक्षक (कम्बल) का वेतनमान समान होने के कारण।
तीन	बुनाई पर्यवेक्षक	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कताई पर्यवेक्षकों (अम्बर) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा		बुनाई पर्यवेक्षक (कम्बल)	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कताई पर्यवेक्षक (कम्बल), कताई संगठक (कम्बल), परिष्करण मिस्त्री एवं ब्वायलर मैन में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा		कताई पर्यवेक्षक (अम्बर) खादी योजना का पद है। अतः कम्बल योजना का पद अंकित कर संशोधित किया गया है। कताई संगठक का पद छूट हुआ है। पूर्व में परिष्करण मिस्त्री एवं ब्वायलर मैन की पदोन्नति की व्यवस्था नहीं है।
(ड) तकनीकी संवर्ग (ऊन)– उत्तरांचल से वापस आये पद				(ड) तकनीकी संवर्ग (ऊन)– उत्तरांचल से वापस आये पद			

1	क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन)			क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन)	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्राविधिक सहायक (ऊन) एवं सहायक उत्पादन अधीक्षक (ऊन) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा		उत्तरांचल से वापस आये पद जो सेवा विनियमावली में नहीं है। इन पदों को जोड़ा जाना है।
2	प्राविधिक सहायक (ऊन)			प्राविधिक सहायक (ऊन)	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे बुनाई शिक्षक (ऊन), मैकेनिक इलेक्ट्रीशियन (ऊन) एवं लोहार में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा		उत्तरांचल से वापस आये पद जो सेवा विनियमावली में नहीं है। इन पदों को जोड़ा जाना है।
3	सहायक उत्पादन अधीक्षक (ऊन)			सहायक उत्पादन अधीक्षक (ऊन)	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे बुनाई शिक्षक (ऊन), मैकेनिक इलेक्ट्रीशियन (ऊन) एवं लोहार में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा		उत्तरांचल से वापस आये पद जो सेवा विनियमावली में नहीं है। इन पदों को जोड़ा जाना है।
4	बुनाई शिक्षक (ऊन)			बुनाई शिक्षक	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे रंगाई शिक्षक (ऊन), में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष		उत्तरांचल से वापस आये पद जो सेवा विनियमावली में नहीं है। इन पदों को जोड़ा जाना

				(ऊन)	के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा		है।
5	मैकेनिक इलेक्ट्रीशियन (ऊन)			मैकेनिक (ऊन)	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे रंगाई शिक्षक (ऊन), में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा		उत्तरांचल से वापस आये पद जो सेवा विनियमावली में नहीं है। इन पदों को जोड़ा जाना है।
6	लोहार			लोहार	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे रंगाई शिक्षक (ऊन), में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा		उत्तरांचल से वापस आये पद जो सेवा विनियमावली में नहीं है। इन पदों को जोड़ा जाना है।
7	रंगाई शिक्षक			रंगाई शिक्षक	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कताई पर्यवेक्षक (ऊन) एवं सेल्स अटेंडेन्ट में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा		उत्तरांचल से वापस आये पद जो सेवा विनियमावली में नहीं है। इन पदों को जोड़ा जाना है।
2-खादी विकास, अम्बर चर्खा और लोक वस्त्र योजना :					2-खादी विकास, अम्बर चर्खा योजना (लोक वस्त्र योजना		

				उत्तरांचल चली गयी है)			
एक	प्रभारी अधिकारी (प्रशिक्षण एवं लेखा)	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे अधीक्षक उत्पादन (खादी और लोक वस्त्र) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा		प्रभारी अधिकारी (प्रशिक्षण एवं लेखा)	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उत्पादनी अधीक्षक (खादी) सहायक उत्पादन अधीक्षक (खादी) एवं खादी विशेषज्ञ सहायक में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा		उत्पादन अधीक्षक (लोक वस्त्र) का पद उत्तरांचल स्थानान्तरित होने एवं उत्पादन अधीक्षक (खादी), सह उत्पादन अधीक्षक (खादी) तथा खादी विशेषज्ञ सहायक का वेतनमान समान होने के कारण।
दो	तकनीकी प्रबन्धक (लोक वस्त्र)	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे अधीक्षक उत्पादन (खादी और लोक वस्त्र) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा		तकनीकी प्रबन्धक (लोक वस्त्र)	पद उत्तरांचल स्थानान्तरित		पद उत्तरांचल स्थानान्तरित
तीन	अधीक्षक उत्पादन	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक अधीक्षक उत्पादन (अम्बर) तथा खादी विशेषज्ञ सहायकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा		अधीक्षक उत्पादन	मौलिक रूप से नियुक्त ज्येष्ठ बुनाई अनुदेशक, कताई पर्यवेक्षक (अम्बर) एवं कनिष्ठ बुनाई अनुदेशक में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा		उत्पादन अधीक्षक (खादी), सहायक उत्पादन अधीक्षक (अम्बर) एवं खादी विशेषज्ञ सहायक का वेतनमान समान होने के कारण।

चार	सहायक अधीक्षक उत्पादन (अम्बर)	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कताई पर्यवेक्षकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा		सहायक अधीक्षक उत्पादन (अम्बर)	मौलिक रूप से नियुक्त ज्येष्ठ बुनाई अनुदेशक, कताई पर्यवेक्षक (अम्बर) एवं कनिष्ठ बुनाई अनुदेशक में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा		उत्पादन अधीक्षक (खादी), सहायक उत्पादन अधीक्षक (अम्बर) एवं खादी विशेषज्ञ सहायक का वेतनमान समान होने के कारण।
पांच	खादी विशेषज्ञ सहायक	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे ज्येष्ठ बुनाई अनुदेशकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा		खादी विशेषज्ञ सहायक	मौलिक रूप से नियुक्त ज्येष्ठ बुनाई अनुदेशक, कताई पर्यवेक्षक (अम्बर) एवं कनिष्ठ बुनाई अनुदेशक में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा		उत्पादन अधीक्षक (खादी), सहायक उत्पादन अधीक्षक (अम्बर) एवं खादी विशेषज्ञ सहायक का वेतनमान समान होने के कारण।
छः	ज्येष्ठ बुनाई अनुदेशक	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे ज्येष्ठ बुनाई अनुदेशकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा		ज्येष्ठ बुनाई अनुदेशक	मौलिक रूप से नियुक्त ज्येष्ठ कताई मार्गदर्शक, मास्टर वीवर, कताई मार्गदर्शक, कनिष्ठ कताई मार्गदर्शक, सूत खरीददार एवं बढई में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली		छठे वेतनमान में पदों का वेतन अपग्रेड होने के कारण एवं बढई का पद पदोन्नति में छूटने के कारण।

					हो, पदोन्नति द्वारा		
सात	कताई पर्यवेक्षक	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे ज्येष्ठ कताई मार्गदर्शक (अम्बर) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा		कताई पर्यवेक्षक	मौलिक रूप से नियुक्त ज्येष्ठ कताई मार्गदर्शक, मास्टर वीवर, कताई मार्गदर्शक, कनिष्ठ कताई मार्गदर्शक, सूत खरीददार एवं बढ़ई में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा		छटे वेतनमान में पदों का वेतन अपग्रेड होने के कारण एवं बढ़ई का पद पदोन्नति में छूटने के कारण।
आठ	कनिष्ठ बुनाई अनुदेशक	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे मास्टर वीवर में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा		कनिष्ठ बुनाई अनुदेशक	मौलिक रूप से नियुक्त ज्येष्ठ कताई मार्गदर्शक, मास्टर वीवर, कताई मार्गदर्शक, कनिष्ठ कताई मार्गदर्शक, सूत खरीददार एवं बढ़ई में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा		छटे वेतनमान में पदों का वेतन अपग्रेड होने के कारण एवं बढ़ई का पद पदोन्नति में छूटने के कारण।
3- चर्म योजना :			3- चर्म योजना :				
एक	क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (चर्म) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस		क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (चर्म) एवं तकनीकी सहायक (एक) में		ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (चर्म) एवं तकनीकी सहायक (एक) का वेतनमान समान होने के कारण।

	(चर्म)	रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।		(चर्म)	से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।		
दो	ज्येष्ठ तकनीकी सहायक	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे तकनीकी सहायक (चर्म) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।		ज्येष्ठ तकनीकी सहायक	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे तकनीकी सहायक (चर्म) एवं चर्म अनुदेशकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।		ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (चर्म) एवं तकनीकी सहायक (एक) का वेतनमान समान होने के कारण।
तीन	तकनीकी सहायक (एक)	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे तकनीकी सहायक (चर्म) और चर्म अनुदेशकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।		तकनीकी सहायक (एक)	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे तकनीकी सहायक (चर्म) एवं चर्म अनुदेशकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।		ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (चर्म) एवं तकनीकी सहायक (एक) का वेतनमान समान होने के कारण।
चार	तकनीकी सहायक	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक अनदुशेक (चर्म) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर		तकनीकी सहायक	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक अनदुशेक (चर्म) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की		

		ली हो, पदोन्नति द्वारा।			सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।		
पांच	चर्म अनुदेशक	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक अनदुशोक (चर्म) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।		चर्म अनुदेशक	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक अनदुशोक (चर्म) एवं मिस्त्री चर्म में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।		
छः	सहायक अनुदेशक (चर्म)	सीधी भर्ती	(1) विज्ञान के साथ इण्टरमीडिएट (2) किसी सरकारी संस्थान से या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रायोजित किसी संस्थान से चर्म प्रौद्योगिकी के प्रशिक्षण में डिप्लोमा या	सहायक अनुदेशक (चर्म)	सीधी भर्ती	(1) विज्ञान के साथ इण्टरमीडिएट (2) किसी सरकारी संस्थान से या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रायोजित किसी संस्थान से चर्म प्रौद्योगिकी के प्रशिक्षण में डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र।	

			प्रमाण-पत्र।			
4- हाथ कागज योजना:				4- हाथ कागज योजना:		
एक	उत्पादन अधीक्षक उद्योग (हाथ कागज योजना-कालपी)	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे शोध सहायकों (हाथ कागज योजन) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।		उत्पादन अधीक्षक उद्योग (हाथ कागज योजना-कालपी)	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उत्पादन अधीक्षक (फैजाबाद) (हाथ कागज योजन) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।	
दो	शोध सहायक (हाथ कागज योजना)	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे अधीक्षक उत्पादन (फैजाबाद) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।		शोध सहायक (हाथ कागज योजना)	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे अधीक्षक उत्पादन (फैजाबाद) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।	
तीन	उत्पादन अधीक्षक (फैजाबाद)	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे मैकेनिक (एच0एम0पी0) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।		उत्पादन अधीक्षक (फैजाबाद)	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे तकनीकी सहायक, कला अनुदेशक, मैकेनिक (हाथ कागज) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति	तकनीकी सहायक एवं कला अनुदेशक में पदोन्नति की व्यवस्था न होने के कारण।

					द्वारा ।		
चार	तकनीकी सहायक	सीधी भर्ती द्वारा	(1) इण्टरमीडिएट विज्ञान के साथ । (2) खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वार प्रमाणित संस्थान से हाथ निर्मित कागज में दो वर्ष का प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र । (3) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अथवा पालीटेक्निक का प्रमाण-पत्र अथवा डिप्लोमा ।	तकनीकी सहायक	सीधी भर्ती द्वारा	(1) इण्टरमीडिएट विज्ञान के साथ । (2) खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वार प्रमाणित संस्थान से हाथ निर्मित कागज में दो वर्ष का प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र । (3) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अथवा पालीटेक्निक का प्रमाण-पत्र अथवा डिप्लोमा ।	
पांच	कला अनुदेशक	सीधी भर्ती द्वारा	(1) इण्टरमीडिएट विज्ञान के साथ । (2) खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वार	कला अनुदेशक	सीधी भर्ती द्वारा	(1) इण्टरमीडिएट विज्ञान के साथ । (2) खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वार प्रमाणित संस्थान से हाथ निर्मित कागज में दो वर्ष का	

			प्रमाणित संस्थान से हाथ निर्मित कागज में दो वर्ष का प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र। (3) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अथवा पालीटेक्निक का प्रमाण-पत्र अथवा डिप्लोमा।			प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र। (3) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अथवा पालीटेक्निक का प्रमाण-पत्र अथवा डिप्लोमा।	
छः	मैकेनिक (हाथ कागज योजना)	सीधी भर्ती द्वारा	(1) इण्टरमीडिएट। (2) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मैकेनिक व्यवसाय में डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र।	मैकेनिक (हाथ कागज योजना)	सीधी भर्ती द्वारा	(1) इण्टरमीडिएट। (2) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मैकेनिक व्यवसाय में डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र।	
5- गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला:				5- गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला:			
	विश्लेषक	सीधी भर्ती द्वारा	रसायन शास्त्र विषय के साथ	विश्लेषक	सीधी भर्ती द्वारा	रसायन शास्त्र विषय के साथ विज्ञान में स्नातक	

			<p>विज्ञान में स्नातक उपाधि अथवा विश्लेषण में एक वर्ष का अनुभव। प्राथमिकता</p> <p>(1) रसायनशासन में स्नातकोत्तर तेल और वस्तु उत्पादों के रासायनिक विश्लेषण का विशेष प्रशिक्षण या अनुभव।</p>			<p>उपाधि अथवा विश्लेषण में एक वर्ष का अनुभव। प्राथमिकता</p> <p>(1) रसायनशासन में स्नातकोत्तर तेल और वस्तु उत्पादों के रासायनिक विश्लेषण का विशेष प्रशिक्षण या अनुभव।</p>	
6- गुड़/ताड़ गुड़ योजना :			6- गुड़/ताड़ गुड़ योजना :				
एक	क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (गुड़)	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे ज्येष्ठ गुड़ विकास निरीक्षकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा		क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (गुड़)	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे गुड़ विकास निरीक्षकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा		

दो	शोध रसायनज्ञ (ताड़ गुड़)	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक बाटनिष्ट (ताड़ गुड़), जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा		शोध रसायनज्ञ (ताड़ गुड़)	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे तालवस्तु विकास निरीक्षक एवं तालवस्तु वाणिज्य निरीक्षक में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा		सहायक बाटनिष्ट एवं ताड़गुड़ का वेतनमान समान होने के कारण।
तीन	ज्येष्ठ गुड़ विकास निरीक्षक	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे गुड़ विकास निरीक्षकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा		ज्येष्ठ गुड़ विकास निरीक्षक	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे गुड़ विकास निरीक्षकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा		
चार	सहायक बाटनिस्ट (ताड़ गुड़)	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे ताड़ वस्तु विकास निरीक्षक और ताड़ वस्तु वाणिज्यिक निरीक्षक में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा		सहायक बाटनिस्ट (ताड़ गुड़)	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे ताड़ वस्तु विकास निरीक्षक और ताड़ वस्तु वाणिज्यिक निरीक्षक में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा		
पांच	ताड़ वस्तु विकास	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे तकनीकी सहायक (ताड़ गुड़) एवं प्रसंस्करण सहायक		ताड़ वस्तु विकास	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे तकनीकी सहायक (ताड़ गुड़) एवं प्रसंस्करण		

	निरीक्षक	(ताड़ गुड़) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा		निरीक्षक	सहायक (ताड़ गुड़) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा		
छः	ताड़ वस्तु वाणिज्यिक निरीक्षक	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे तकनीकी सहायक (ताड़ गुड़) एवं प्रसंस्करण सहायक (ताड़ गुड़) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा		ताड़ वस्तु वाणिज्यिक निरीक्षक	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे तकनीकी सहायक (ताड़ गुड़) एवं प्रसंस्करण सहायक (ताड़ गुड़) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा		
सात	गुड़ विकास निरीक्षक	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे जिला गुड़ प्रदर्शक एवं मैकेनिक (गुड़) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा		गुड़ विकास निरीक्षक	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे जिला गुड़ प्रदर्शक एवं मैकेनिक (गुड़) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा		
आठ	जिला गुड़ प्रदर्शक	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे गुड़ डिमान्स्ट्रेटर में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा		जिला गुड़ प्रदर्शक	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे गुड़ डिमान्स्ट्रेटर में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा		

नौ	मेकैनिक (गुड़)	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे गुड़ डिमान्स्ट्रेटर में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा		मेकैनिक (गुड़)	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे गुड़ डिमान्स्ट्रेटर में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा		
दस	तकनीकी सहायक (ताड़ गुड़)	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे ताड़ उत्पाद डिमान्स्ट्रेटर मास्टर टेपर और हलवाई में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा		तकनीकी सहायक (ताड़ गुड़)	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे ताड़ उत्पाद डिमान्स्ट्रेटर मास्टर टेपर और हलवाई में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा		
ग्यारह	प्रसंस्करण सहायक (ताड़ गुड़)	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे ताड़ पत्ती विशेषज्ञों और ताड़ वस्तु रेशा विशेषज्ञों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा		प्रसंस्करण I सहायक (ताड़ गुड़)	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे ताड़ पत्ती विशेषज्ञों और ताड़ वस्तु रेशा विशेषज्ञों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा		
7— प्रशिक्षण संवर्ग :				7— प्रशिक्षण संवर्ग :			

एक	ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (माचिस)	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे तकनीकी सहायक (माचिस) जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।		ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (माचिस)	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे तकनीकी सहायक (माचिस) जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।		ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (माचिस) ग्रेड पे-2800 के पदों को पदोन्नति हेतु ग्रेड पे-4200 का इस संवर्ग में कोई पद नहीं है।
दो	ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (रेशा)	सीधी भर्ती द्वारा	(1) इण्टरमीडिएट (2) खादी ग्रामोद्योग आयोग के किसी संस्था अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से रेशा में एक वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त।	ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (रेशा)	सीधी भर्ती द्वारा	(1) इण्टरमीडिएट (2) खादी ग्रामोद्योग आयोग के किसी संस्था अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से रेशा में एक वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त।	ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (रेशा) ग्रेड पे-2800 के पदों को पदोन्नति हेतु ग्रेड पे-4200 का इस संवर्ग में कोई पद नहीं है।
तीन	तकनीकी सहायक (माचिस)	सीधी भर्ती द्वारा	(1) इण्टरमीडिएट (2) खादी ग्रामोद्योग आयोग के अथवा	तकनीकी सहायक (माचिस)	सीधी भर्ती द्वारा	(1) इण्टरमीडिएट (2) खादी ग्रामोद्योग आयोग के अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था	

			सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से व्यवसाय में छः माह का प्रशिक्षण प्राप्त ।			से व्यवसाय में छः माह का प्रशिक्षण प्राप्त ।	
चार-तकनीकी सहायक (प्रशिक्षण):							
(क)	तकनीकी सहायक (खादी)	सीधी भर्ती द्वारा	(1) विज्ञान के साथ इण्टरमीडिएट (2) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के किसी संस्था अथवा खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग या खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त ।	तकनीकी सहायक (खादी)	सीधी भर्ती द्वारा	(1) विज्ञान के साथ इण्टरमीडिएट (2) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के किसी संस्था अथवा खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग या खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त ।	

(ख)	तकनीकी सहायक (चर्म)	सीधी भर्ती द्वारा	(1) विज्ञान के साथ इण्टरमीडिएट (2) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के किसी संस्था अथवा खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग या खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त।	तकनीकी सहायक (चर्म)	सीधी भर्ती द्वारा	(1) विज्ञान के साथ इण्टरमीडिएट (2) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के किसी संस्था अथवा खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग या खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त।	
(ग)	तकनीकी सहायक (ग्रामीण तेल)	सीधी भर्ती द्वारा	(1) विज्ञान के साथ इण्टरमीडिएट (2) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के किसी संस्था अथवा खादी	तकनीकी सहायक (ग्रामीण तेल)	सीधी भर्ती द्वारा	(1) विज्ञान के साथ इण्टरमीडिएट (2) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के किसी संस्था अथवा खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग या खादी	

			तथा ग्रामोद्योग आयोग या खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त।			तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त।	
(घ)	तकनीकी सहायक (रेशा)	सीधी भर्ती द्वारा	(1) विज्ञान के साथ इण्टरमीडिएट (2) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के किसी संस्था अथवा खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग या खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान में	तकनीकी सहायक (रेशा)	सीधी भर्ती द्वारा	(1) विज्ञान के साथ इण्टरमीडिएट (2) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के किसी संस्था अथवा खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग या खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त।	

			प्रशिक्षण प्राप्त ।				
(ड़)	तकनीकी सहायक (हाथ कागज योजना)	सीधी भर्ती द्वारा	(1) विज्ञान के साथ इण्टरमीडिएट (2) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के किसी संस्था अथवा खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग या खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त ।	तकनीकी सहायक (हाथ कागज योजना)	सीधी भर्ती द्वारा	(1) विज्ञान के साथ इण्टरमीडिएट (2) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के किसी संस्था अथवा खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग या खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त ।	
(च)	तकनीकी सहायक (मधुमक्खी पालन उद्योग)	सीधी भर्ती द्वारा	(1) विज्ञान के साथ इण्टरमीडिएट (2) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के	तकनीकी सहायक (मधुमक्खी पालन उद्योग)	सीधी भर्ती द्वारा	(1) विज्ञान के साथ इण्टरमीडिएट (2) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के किसी संस्था अथवा खादी तथा	

			किसी संस्था अथवा खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग या खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त।			ग्रामोद्योग आयोग या खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त।	
(छ)	तकनीकी सहायक (काष्ठ कला)	सीधी भर्ती द्वारा	(1) विज्ञान के साथ इण्टरमीडिएट (2) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के किसी संस्था अथवा खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग या खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा	तकनीकी सहायक (काष्ठ कला)	सीधी भर्ती द्वारा	(1) विज्ञान के साथ इण्टरमीडिएट (2) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के किसी संस्था अथवा खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग या खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त।	

			मान्यता प्राप्त किसी संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त।				
(ज)	तकनीकी सहायक (कुम्हारी)	सीधी भर्ती द्वारा	(1) विज्ञान के साथ इण्टरमीडिएट (2) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के किसी संस्था अथवा खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग या खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त।	तकनीकी सहायक (कुम्हारी)	सीधी भर्ती द्वारा	(1) विज्ञान के साथ इण्टरमीडिएट (2) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के किसी संस्था अथवा खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग या खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त।	
(झ)	तकनीकी सहायक (अनाज)	सीधी भर्ती द्वारा	(1) विज्ञान के साथ इण्टरमीडिएट (2) खादी	तकनीकी सहायक (अनाज)	सीधी भर्ती द्वारा	(1) विज्ञान के साथ इण्टरमीडिएट (2) खादी तथा	

	दाल प्रशोधन)		तथा ग्रामोद्योग आयोग के किसी संस्था अथवा खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग या खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त ।	दाल प्रशोधन)		ग्रामोद्योग आयोग के किसी संस्था अथवा खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग या खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त ।	
(जा)	तकनीकी सहायक (फल संरक्षण)	सीधी भर्ती द्वारा	(1) विज्ञान के साथ इण्टरमीडिएट (2) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के किसी संस्था अथवा खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग या खादी तथा	तकनीकी सहायक (फल संरक्षण)	सीधी भर्ती द्वारा	(1) विज्ञान के साथ इण्टरमीडिएट (2) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के किसी संस्था अथवा खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग या खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान में	

			ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त।			प्रशिक्षण प्राप्त।	
(ट)	तकनीकी सहायक (बांस बेंत)	सीधी भर्ती द्वारा	(1) विज्ञान के साथ इण्टरमीडिएट (2) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के किसी संस्था अथवा खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग या खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त।	तकनीकी सहायक (बांस बेंत)	सीधी भर्ती द्वारा	(1) विज्ञान के साथ इण्टरमीडिएट (2) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के किसी संस्था अथवा खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग या खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त।	
(ठ)	तकनीकी	सीधी भर्ती द्वारा	(1) विज्ञान के साथ	तकनीकी	सीधी भर्ती द्वारा	(1) विज्ञान के साथ	

	सहायक (साबुन)		इण्टरमीडिएट (2) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के किसी संस्था अथवा खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग या खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त।	सहायक (साबुन)		इण्टरमीडिएट (2) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के किसी संस्था अथवा खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग या खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त।	
(ड)	तकनीकी सहायक (कुटीर दियासलाई)	सीधी भर्ती द्वारा	(1) विज्ञान के साथ इण्टरमीडिएट (2) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के किसी संस्था अथवा खादी तथा ग्रामोद्योग	तकनीकी सहायक (कुटीर दियासलाई)	सीधी भर्ती द्वारा	(1) विज्ञान के साथ इण्टरमीडिएट (2) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के किसी संस्था अथवा खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग या खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मान्यता	

			आयोग या खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त ।			प्राप्त किसी संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त ।	
(ढ)	तकनीकी सहायक (कम्बल)	सीधी भर्ती द्वारा	(1) विज्ञान के साथ इण्टरमीडिएट (2) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के किसी संस्था अथवा खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग या खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त ।	तकनीकी सहायक (कम्बल)	सीधी भर्ती द्वारा	(1) विज्ञान के साथ इण्टरमीडिएट (2) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के किसी संस्था अथवा खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग या खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त ।	

(च) विपणन संवर्ग :			(च) विपणन संवर्ग :				
एक	प्रदर्शनी अधिकारी	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक उत्पादन अधीक्षक (बिक्री) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।		प्रदर्शनी अधिकारी	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक उत्पादन अधीक्षक (बिक्री) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।		
दो	कारबारी व्यवस्थापक	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक उत्पादन अधीक्षक (बिक्री) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।		कारबारी व्यवस्थापक	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक उत्पादन अधीक्षक (बिक्री) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।		
तीन	सहायक उत्पादन अधीक्षक (बिक्री)	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रचार सहायकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।		सहायक उत्पादन अधीक्षक (बिक्री)	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रचार सहायकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।		

चार	सहायक अधीक्षक (स्टोर)	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रचार सहायकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।		सहायक अधीक्षक (स्टोर)	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रचार सहायकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।		
पांच	आर्टिस्ट कम डेकोरेटर	मौलिक रूप से नियुक्त आर्टिस्टों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।		आर्टिस्ट कम डेकोरेटर	मौलिक रूप से नियुक्त आर्टिस्टों एवं फोटोग्राफर में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।		फोटोग्राफर की पदोन्नति की व्यवस्था नहीं थी।
छः	आर्टिस्ट	सीधी भर्ती द्वारा	(1) इण्टरमीडिएट (2) मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से वाणिज्यिक कला में डिप्लोमा	आर्टिस्ट	सीधी भर्ती द्वारा	(1) इण्टरमीडिएट (2) मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से वाणिज्यिक कला में डिप्लोमा	
सात	प्रचार सहायक	सीधी भर्ती द्वारा	(1) इण्टरमीडिएट (2) मान्यता प्राप्त	प्रचार सहायक	सीधी भर्ती द्वारा	(1) इण्टरमीडिएट (2) मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से वाणिज्यिक	

			प्रशिक्षण संस्थान से वाणिज्यिक कला में डिप्लोमा			कला में डिप्लोमा	
आठ	प्रदर्शनी सहायक	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कामर्शियल ट्रेवलर, विक्रेता और बिक्री सहायकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।		प्रदर्शनी सहायक	मौलिक रूप से नियुक्त लेखाकार/विक्रेता में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।		कामर्शियल ट्रेवलर, विक्रेता और बिक्री सहायकों का पद उत्तरांचल स्थानान्तरित हो जाने के कारण।
नौ	बिक्री सहायक	सीधी भर्ती द्वारा	(1) इण्टरमीडिएट (2) मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से वाणिज्यिक कला में डिप्लोमा	बिक्री सहायक	सीधी भर्ती द्वारा	(1) इण्टरमीडिएट (2) मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से वाणिज्यिक कला में डिप्लोमा	
दस	लेखाकार/विक्रेता	सीधी भर्ती द्वारा	(1) इण्टरमीडिएट (2) मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से वाणिज्यिक	लेखाकार/विक्रेता	सीधी भर्ती द्वारा	(1) इण्टरमीडिएट (2) मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से वाणिज्यिक कला में डिप्लोमा	

			कला में डिप्लोमा				
ग्यारह	फोटोग्राफर	सीधी भर्ती द्वारा	(1) विज्ञान के साथ स्नातमक उपाधि, (2) फोटोग्राफी तथा फोटोग्राफ डेवलप करने का दो वर्ष का व्यवहाकिर अनुभव।	फोटोग्राफर	सीधी भर्ती द्वारा	(1) विज्ञान के साथ स्नातमक उपाधि, (2) फोटोग्राफी तथा फोटोग्राफ डेवलप करने का दो वर्ष का व्यवहाकिर अनुभव।	
(छ)	चालक संवर्ग			(छ)	चालक संवर्ग		
	चालक	सीधी भर्ती द्वारा	(1) जूनियर हाईस्कूल (2) हल्की भारी वाहनों के चलाने का विधिमान्य लाइसेन्स (3) हल्की/भारी वाहन चलाने का दो वर्ष का अनुभव।	चालक	सीधी भर्ती द्वारा	(1) जूनियर हाईस्कूल (2) हल्की भारी वाहनों के चलाने का विधिमान्य लाइसेन्स (3) हल्की/भारी वाहन चलाने का दो वर्ष का अनुभव।	

(झ)		इंजीनियरिंग संवर्ग		(झ)		इंजीनियरिंग संवर्ग	
एक	मैकेनिक ओवरसियर	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे फिल्म आपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।		मैकेनिक ओवरसियर	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे फिल्म आपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।		
दो	फिल्म आपरेटर एवं इलेक्ट्रीशियन	सीधी भर्ती द्वारा	(1) हाईस्कूल उत्तीर्ण (2) फिल्म चलाने का दो वर्ष का अनुभव।	फिल्म आपरेटर एवं इलेक्ट्रीशियन	सीधी भर्ती द्वारा	(1) हाईस्कूल उत्तीर्ण (2) फिल्म चलाने का दो वर्ष का अनुभव।	
तीन	इलेक्ट्रीशियन	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे फिटर एवं विद्युतकार में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।		इलेक्ट्रीशियन	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे फिटर एवं विद्युतकार में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।		
(जा)		कुम्हारी संवर्ग :		(जा)		कुम्हारी संवर्ग :	
	तकनीकी	सीधी भर्ती द्वारा	(1) विज्ञान से स्नातक	तकनीकी	सीधी भर्ती द्वारा	(1) विज्ञान से स्नातक उपाधि।	

	अधिकारी (कुम्हारी)		उपाधि। (2) खादी ग्रामोद्योग आयोग से अथवा खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से एक वर्ष का कुम्हारी उद्योग में प्रशिक्षण प्राप्त।	अधिकारी (कुम्हारी)		(2) खादी ग्रामोद्योग आयोग से अथवा खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से एक वर्ष का कुम्हारी उद्योग में प्रशिक्षण प्राप्त।	
--	-----------------------	--	---	-----------------------	--	---	--

आज्ञा से,

परिशिष्ट "क" – समूह – "ग"
विनियम-4(2) तथा 22 देखिय

सेवा विनियमवली में वर्तमान व्यवस्था						सेवा विनियमवली में संशोधन हेतु प्रस्तावित व्यवस्था							
क्र. सं.	पद का नाम	वेतनमान	पद की संख्या			क्र. सं.	पद का नाम	वेतन बैंड	ग्रेड वेतन	पद की संख्या			औचित्य
			स्थ ई	अस्थ ई	योग					स्था ई	अस्थ ई	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
(क) प्रबन्धकीय संवर्ग						(क) प्रबन्धकीय संवर्ग							
1	ग्रामोद्योग अधिकारी	5000-150-800 0	16	.	16	1	ग्रामोद्योग अधिकारी	9300-348 00	4200	16	.	16	
2	सहायक विकास अधिकारी (एक)	5000-150-800 0	42	10	52	2	सहायक विकास अधिकारी (एक)	9300-348 00	4200	42	10	52	
3	ज्येष्ठ औद्योगिक सहकारी निरीक्षक	5000-150-800 0	0	1	1	3	ज्येष्ठ औद्योगिक सहकारी निरीक्षक	9300-348 00	4200	0	1	1	
4	सहायक विकास अधिकारी (दो)	4500-125-700 0	128	8	136	4	सहायक विकास अधिकारी (दो)	5200-202 00	2800	128	8	136	
5	औद्योगिक सहकारी निरीक्षक	4500-125-700 0	14	10	34	5	औद्योगिक सहकारी निरीक्षक	5200-202 00	2800	14	10	24	
6	औद्योगिक सहकारी पर्यवेक्षक	3200-85-4900	54	47	101	6	औद्योगिक सहकारी पर्यवेक्षक	5200-202 00	2000	54	47	101	

सेवा विनियमवली में वर्तमान व्यवस्था						सेवा विनियमवली में संशोधन हेतु प्रस्तावित व्यवस्था							
क्र. सं.	पद का नाम	वेतनमान	पद की संख्या			क्र. सं.	पद का नाम	वेतन बैंड	ग्रेड वेतन	पद की संख्या			औचित्य
			स्थ आई	अस्थ आई	योग					स्था आई	अस्थ आई	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
(ख) लिपिकीय संवर्ग						(ख) लिपिकीय संवर्ग							
1	कार्यालय अधीक्षक (एक)	5500-175-9000	1	0	1	1	प्रधान सहायक	9300-34800	4200	41	0	41	
2	कार्यालय अधीक्षक (दो)	5000-150-8000	6	0	6	2	वरिष्ठ सहायक	5200-20200	2800	1125	0	1125	उत्तरांचल से 5 पद वापस प्राप्त
3	उत्पादन अधीक्षक (लिपिकीय)	4500-125-7250	4	0	4	3	कनिष्ठ सहायक	5200-20200	2000	124	0	124	
4	प्रधान लिपिक(एक)	4500-125-7000	1	0	1	4	केयर टेकर	5200-20200	2800	1	0	1	
5	नोटर ड्राफ्टर	4500-125-7000	26	3	29	5							
6	रिकार्ड कीपर	4500-125-7000	0	1	1	6							
7	सहायक उत्पादन अधीक्षक (लिपिकीय)	4500-125-7000	6	0	6	7	नोट- शासनादेश संख्या-701/59-1-2004-25(खा)/2010 दिनांक 20 अगस्त, 2014 में निहित प्राविधानानुसार उक्तानुसार पदों						

							का पुनर्गठन किये जाने की स्वीकृत प्रदान की गयी।						
8	प्रधान लिपिक (दो)	4000-100-600 0	3	0	3	8							
9	लेखा लिपिक	4000-100-600 0	1	0	1	9							
10	रिकार्ड कीपर एवं लेखाकार	4000-100-600 0	4	0	4	10							
11	प्रवर वर्ग लिपिक	4000-100-600 0	5	0	5	11							
12	स्टोर एवं लेखा लिपिक	4000-100-600 0	0	2	2	12							
13	लेखाकार	4000-100-600 0	22	22	44	13							
14	लेखाकार एवं खजान्ची	4000-100-600 0	3	3	6	14							
15	लेखापाल	4000-100-600 0	1	0	1	15							
16	लेखाकार	4000-100-600 0	36	0	36	16							
17	लेखाकार एवं प्रधान लिपिक	4000-100-600 0	9	0	9	17							
18	सांख्यिकीय	4000-100-600 0	1	0	1	18							
19	केयर टेकर	4500-125-700 0	0	1	1	19							
20	लिपिक / टंककर / स्टो	3050-75-3950	81	42	123	20							

	र कीपर	-80-4590											
(ग) आशुलिपिक संवर्ग						(ग) आशुलिपिक संवर्ग							
1	वैयक्तिक सहायक	5500-175-900 0	0	1	1	1	वैयक्तिक सहायक ग्रेड- II	9300.34800	4200	02	02	04	
2	निजी सचिव	5000-150-800 0	0	1	1	2	आशुलिपिक ग्रेड- I	9300.34800	4200	05	03	08	
3	आशुलिपिक (एक)	4500-125-725 0	4	5	9	3	आशुलिपिक ग्रेड- II	5200.20200	2400	07	07	14	
4	आशुलिपिक (दो)	4000-100-600 0	5	11	16	4							
							नोट-शासनादेश सं०-13ई०एम०-187-क-4 / 2005 दिनांक 26 अगस्त, 2005 में निर्धारित स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर आशुलिपिक संवर्ग में कार्यरत कार्मिकों का समायोजन।						
(घ) लेखा संवर्ग						(घ) लेखा संवर्ग							
1	क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (लेखा)	5000-150-800 0	2	0	2	1	ज्ये'ठ लेखा परीक्षक	9300.34800	4200	30	5	35	
2	मुख्य लेखा निरीक्षक / वाणिज्यिक लेखाकार	5000-150-800 0	6	3	9	2	लेखा परीक्षक	5200-202 00	2800	2	12	14	
3	ज्येष्ठ लेखा निरीक्षक / भण्डार सत्यापक	4500-125-700 0	24	0	24	3							
4	सहायक लेखाकार	4000-100-600 0	0	12	12								
5	कनिष्ठ लेखा निरीक्षक	4000-100-600	7	0	7		नोट-शासनादेश सं०-954 / 59-1-2006-37(खा) / 2006 दिनांक 25						

		0					अगस्त, 2008 में निर्धारित स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर तथा वेतन समिति उ0प्र0 2008 के द्वितीय प्रतिवेदन भाग-2 की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार जिसके द्वारा उक्त संवर्ग के पदों का वेतनमान ज्येष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड-1 का ग्रेड पे-4200 तथा ज्येष्ठ लेखा परीक्षक का ग्रेड पे-2800 एवं लेखा परीक्षक का ग्रेड पे-2400 किया गया है, जिसका संशोधन उक्तानुसार किया जाना है।						
(ड़) तकनीकी संवर्ग 1- कम्बल योजना						(ड़) तकनीकी संवर्ग 1- कम्बल योजना एवं ऊन योजना						अभ्युक्ति	
ए क	व्यवस्थापक (कम्बल)	5000-150-800 0	4	1	5	ए क	व्यवस्थापक (कम्बल)	9300-348 00	4200	4	1	5	
दो	उत्पादन अधीक्षक	4500-125-725 0	2	3	5	दो	उत्पादन अधीक्षक	5200-202 00	2800	2	3	5	
ती न	सहायक उत्पादन अधीक्षक	4500-125-700 0	5	0	5	ती न	सहायक उत्पादन अधीक्षक	5200-202 00	2800	5	0	5	
चा र	बुनाई पर्यवेक्षक	3200-85-4900	6	2	8	चा र	बुनाई पर्यवेक्षक	5200-202 00	2000	6	2	8	
							ऊन योजना-						
						ए क	क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन)	9300-348 00	4200	1	0	1	
						दो	प्राविधिक सहायक (ऊन)	5200-202 00	2800	1	0	1	
						ती न	सह उत्पादन अधीक्षक (ऊन)	5200-202 00	2800	4	0	4	
						चा र	बुनाई शिक्षक (ऊन)	5200-202 00	2000	1	0	1	

						पां च	रंगाई शिक्षक (ऊन)	5200-202 00	1900	3	0	3	
						छः	मैकेनिक (ऊन)	5200-202 00	2000	1	0	1	
						सा त	लोहार (ऊन)	5200-202 00	2000	1	0	1	
2- खादी विकास, अम्बर चर्खा और लोक वस्त्र योजना						2- खादी विकास, अम्बर चर्खा और लोक वस्त्र योजना							
ए क	प्रभारी अधिकारी (प्रशिक्षण एवं लेखा)	5000-150-800 0	1	0	1	ए क	प्रभारी अधिकारी (प्रशिक्षण एवं लेखा)	9300-348 00	4200	1	0	1	
दो	अधीक्षक उत्पादन	4500-125-725 0	1	1	2	दो	अधीक्षक उत्पादन	5200-202 00	2800	1	1	2	
ती न	सहायक उत्पादन अधीक्षक (अम्बर)	4500-125-700 0	6	0	6	ती न	सहायक उत्पादन अधीक्षक (अम्बर)	5200-202 00	2800	6	0	6	
चा र	खादी विशेषज्ञ सहायक	4500-125-700 0	4	0	4	चा र	खादी विशेषज्ञ सहायक	5200-202 00	2800	4	0	4	
पां च	ज्येष्ठ बुनाई अनुदेशक	3200-85-4900	5	0	5	पां च	ज्येष्ठ बुनाई अनुदेशक	5200-202 00	2000	5	0	5	
छः	कताई पर्यवेक्षक	3050-75-3940 -80-4590	56	0	56	छः	कताई पर्यवेक्षक	5200-202 00	1900	56	0	56	
सा त	कनिष्ठ बुनाई अनुदेशक	3050-75-3940 -80-4590	5	0	5	सा त	कनिष्ठ बुनाई अनुदेशक	5200-202 00	1900	5	0	5	

3- चर्म योजना						3- चर्म योजना							
ए	क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग	5000-150-800	3	0	3	ए	क्षेत्रीय अधीक्षक	9300-348	4200	3	0	3	

क	(चर्म)	0				क	उद्योग (चर्म)	00					
दो	ज्येष्ठ तकनीकी सहायक	4500-125-700 0	2	0	2	दो	ज्येष्ठ तकनीकी सहायक	5200-202 00	2800	2	0	2	
ती न	तकनीकी सहायक (एक)	4500-125-700 0	1	0	1	ती न	तकनीकी सहायक (एक)	5200-202 00	2800	1	0	1	
चा र	तकनीकी सहायक	3200-85-4900	22			चा र	तकनीकी सहायक (एक)	5200-202 00	2000	22	0	22	
पां च	चर्म अनुदेशक	3200-85-4900	78	0	78	पां च	चर्म अनुदेशक	5200-202 00	2000	116	0	116	
छः	सहायक अनुदेशक चर्म	3050-75-3940 -80-4590	38	0	38	छः	नोट- रिजवी कमेटी की संस्तुति के अनुसार चर्म अनुदेशक एवं सहायक अनुदेशक चर्म को ग्रेड पे-2000 में सम्मिलित किया जाना है।						
4- हाथ कागज योजना						4- हाथ कागज योजना							
ए क	उत्पादन अधीक्षक (हाथ कागज योजना) (कालपी)	5000-150-800 0	0	1	1	ए क	उत्पादन अधीक्षक (हाथ कागज योजना) (कालपी)	9300-348 00	4200	0	1	1	
दो	शोध सहायक (हाथ कागज योजना)	5000-150-800 0	1	0	1	दो	शोध सहायक (हाथ कागज योजना)	9300-348 00	4200	1	0	1	
ती न	उत्पादन अधीक्षक (फैजाबाद)	4500-125-725 0	1	0	1	ती न	उत्पादन अधीक्षक (फैजाबाद)	5200-202 00	2800	1	0	1	
चा र	तकनीकी सहायक	3200-85-4900	3	0	3	चा र	तकनीकी सहायक	5200-202 00	2000	3	0	3	
पां च	कला अनुदेशक	3200-85-4900	1	0	1	पां च	कला अनुदेशक	5200-202 00	2000	1	0	1	

छः	मैकेनिक (हाथ कागज योजना)	3050-75-3940-80-4590	2	0	2	छः	मैकेनिक (हाथ कागज योजना)	5200-20200	1900	2	0	2
----	--------------------------	----------------------	---	---	---	----	--------------------------	------------	------	---	---	---

5- गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला						5- गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला						
1	विश्लेषक	4500-125-7000	4	0	4	1	विश्लेषक	5200-20200	2800	4	0	4
6- गुड़/ताड़गुड़ योजना						6- गुड़/ताड़गुड़ योजना						
ए	क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (गुड़)	5000-150-8000	1	0	1	ए	क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (गुड़)	9300-34800	4200	1	0	1
दो	शोध रसायनज्ञ (ताड़गुड़)	5000-150-8000	1	0	1	दो	शोध रसायनज्ञ (ताड़गुड़)	9300-34800	4200	1	0	1
ती	ज्येष्ठ गुड़ विकास निरीक्षक	5000-150-8000	1	0	1	ती	ज्येष्ठ गुड़ विकास निरीक्षक	9300-34800	4200	1	0	1
चा	सहायक बाटनिष्ट (ताड़गुड़)	5000-150-8000	1	0	1	चा	सहायक बाटनिष्ट (ताड़गुड़)	9300-34800	4200	1	0	1
पां	ताड़वस्तु विकास निरीक्षक	4500-125-7000	5	0	5	पां	ताड़वस्तु विकास निरीक्षक	5200-20200	2800	5	0	5
छः	ताड़ वस्तु वाणिज्यिक निरीक्षक	4500-125-7000	1	0	1	छः	ताड़ वस्तु वाणिज्यिक निरीक्षक	5200-20200	2800	1	0	1
सा	गुड़ विकास निरीक्षक	4500-125-7000	0	7	7	सा	गुड़ विकास निरीक्षक	5200-20200	2800	0	7	7
आ	जिला गुड़ प्रदर्शक	3200-85-4900	6	0	6	आ	जिला गुड़ प्रदर्शक	5200-20200	2000	6	0	6
नौ	मैकेनिक (गुड़)	3200-85-4900	2	0	2	नौ	मैकेनिक (गुड़)	5200-20200	2000	2	0	2

								00					
द स	तकनीकी सहायक (ताड़ गुड़)	3050-75-3940 -80-4590	2	0	2	द स	तकनीकी सहायक (ताड़ गुड़)	5200-202 00	1900	2	0	2	
ग्यार ह	प्रसंस्करण सहायक (ताड़ गुड़)	3050-75-3940 -80-4590	2	0	2	ग्यार रह	प्रसंस्करण सहायक (ताड़ गुड़)	5200-202 00	1900	2	0	2	
7- प्रशिक्षण संवर्ग						7- प्रशिक्षण संवर्ग							
ए क	ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (माचिस)	4500.125.7000	0	1	1	ए क	ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (माचिस)	5200-202 00	2800	0	1	1	
दो	ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (रेशा)	4500.125.7000	0	1	1	दो	ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (रेशा)	5200-202 00	2800	0	1	1	
ती न	तकनीकी सहायक (माचिस)	3200.85.4900	0	1	1	ती न	तकनीकी सहायक (माचिस)	5200-202 00	2000	0	1	1	
चार	तकनीकी सहायक (प्रशिक्षण)					चार	तकनीकी सहायक (प्रशिक्षण)						
(क)	तकनीकी सहायक (खादी)	3050.75.3950.80.4590	0	5	5	(क)	तकनीकी सहायक (खादी)	5200-202 00	1900	0	4	4	एक पद उत्तरांचल गया
(ख)	तकनीकी सहायक (चर्म)	. कव .	0	1	1	(ख)	तकनीकी सहायक (चर्म)	5200-202 00	1900	0	1	1	
(ग)	तकनीकी सहायक(ग्रामीण तेल)	. कव .	0	4	4	(ग)	तकनीकी सहायक (ग्रामीण तेल)	5200-202 00	1900	0	4	4	
(घ)	तकनीकी सहायक (रेशा)	. कव .	0	2	2	(घ)	तकनीकी सहायक (रेशा)	5200-202 00	1900	0	2	2	
(ड)	तकनीकी सहायक (हाथ कागज योजना)	. कव .	0	1	1	(ड)	तकनीकी सहायक (हाथ कागज	5200-202 00	1900	0	1	1	

						योजना)							
(च)	तकनीकी सहायक (काष्ठ कला)	.कव.	0	3	3	(च)	तकनीकी सहायक (काष्ठ कला)	5200-202 00	1900	0	3	3	
(छ)	तकनीकी सहायक (कुम्हारी)	.कव.	0	3	3	(छ)	तकनीकी सहायक (कुम्हारी)	5200-202 00	1900	0	3	3	
(ज)	तकनीकी सहायक (मधुमक्खी पालन)	.कव.	0	3	3	(ज)	तकनीकी सहायक (मधुमक्खी पालन)	5200-202 00	1900	0	2	2	एक पद उत्तरांचल गया
(झ)	तकनीकी सहायक (अनाज दाल प्रशोधन उद्योग)	.कव.	0	3	3	(झ)	तकनीकी सहायक (अनाज दाल प्रशोधन उद्योग)	5200-202 00	1900	0	3	3	
(ञ)	तकनीकी सहायक (फल संरक्षण)	.कव.	0	2	2	(ञ)	तकनीकी सहायक (फल संरक्षण)	5200-202 00	1900	0	2	2	
(ट)	तकनीकी सहायक (बांसबेत)	3050.75.3950.80.4590	0	1	1	(ट)	तकनीकी सहायक (बांसबेत)	5200-202 00	1900	0	1	1	
(ठ)	तकनीकी सहायक (साबुन)	.कव.	0	5	5	(ठ)	तकनीकी सहायक (साबुन)	5200-202 00	1900	0	4	4	एक पद उत्तरांचल गया
(ड)	तकनीकी सहायक (कुटीर दियासलाई)	.कव.	0	3	3	(ड)	तकनीकी सहायक (कुटीर दियासलाई)	5200-202 00	1900	0	3	3	
(ढ)	तकनीकी सहायक (कम्बल)	.कव.	0	1	1	(ढ)	तकनीकी सहायक (कम्बल)	5200-202 00	1900	0	1	1	
घ- विपणन संवर्ग						घ- विपणन संवर्ग							
ए	प्रदर्शनी अधिकारी	5000.150.8000	0	1	1	ए	प्रदर्शनी अधिकारी	9300-348	4200	0	1	1	

क						क		00					
दो	कारबारी व्यवस्थापक	5000.150.8000	1	0	1	दो	कारबारी व्यवस्थापक	9300-348 00	4200	1	0	1	
ती न	सहायक उत्पादन अधीक्षक (बिक्री)	4500.125.7000	3	0	3	ती न	सहायक उत्पादन अधीक्षक (बिक्री)	5200-202 00	2800	3	0	3	
चा र	सहायक अधीक्षक (स्टोर)	4500.125.7000	1	0	1	चा र	सहायक अधीक्षक (स्टोर)	5200-202 00	2800	1	0	1	
पां च	आर्टिस्ट कम डेकोरेटर	5000.150.8000	0	1	1	पां च	आर्टिस्ट कम डेकोरेटर	9300-348 00	4200	0	1	1	
छः	आर्टिस्ट	4500.125.7000	1	0	1	छः	आर्टिस्ट	5200-202 00	2800	1	0	1	
सा त	प्रचार सहायक	4000.100.6000	1	0	1	सा त	प्रचार सहायक	5200-202 00	2400	1	0	1	
आ ठ	प्रदर्शनी सहायक	3200.85.4900	0	1	1	आ ठ	प्रदर्शनी सहायक	5200-202 00	2000	0	1	1	
नौ	कामर्शियल ट्रेवलर	3050.75.3950.80.4590	2	0	2	नौ	कामर्शियल ट्रेवलर	5200-202 00	1900	2	0	2	दोनों पद उत्तरांचल गया
द स	बिक्री सहायक	. कव .	1	0	1	द स	बिक्री सहायक	5200-202 00	1900	1	0	1	
ग्यार ह	लेखाकार / विक्रेता	3200.85.4900	2	0	2	ग्यार ह	लेखाकार / विक्रेता	5200-202 00	3200	2	0	2	
बार ह	फोटो ग्राफर	4500.125.7000	0	1	1	बार ह	फोटो ग्राफर	5200-202 00	2800	0	1	1	
ज- चालक संवर्ग						ज- चालक संवर्ग							

	चालक	3050.75.3950.80.4590	8	4	12		चालक	5200-202 00	1900	84	4	16	चार पद उत्तरांचाल से प्राप्त
ड- इंजीनियरिंग संवर्ग						ड- इंजीनियरिंग संवर्ग							
ए क	मैकेनिक ओवरसियर	4500.125.7000	1	0	1	ए क	मैकेनिक ओवरसियर	5200-202 00	2800	1	0	1	
दो	फिल्म आपरेटर एवं इलेक्ट्रीशियन	3200.85.4900	1	0	1	दो	फिल्म आपरेटर एवं इलेक्ट्रीशियन	5200-202 00	2000	1	0	1	
झ- कुम्हारी संवर्ग						झ- कुम्हारी संवर्ग							
	तकनीकी अधिकारी (कुम्हारी)	5000.150.8000	0	1	1		तकनीकी अधिकारी (कुम्हारी)	9300-348 00	4200	0	1	1	